

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/संकलन/2013-14/ST-142/ 649 .

दिनांक :- 04/12/13

### परिपत्र

विषय :- आवंटियों से प्राप्त की जा रही सेवाकर राशियों में से CENVAT CREDIT प्राप्त करने बाबत दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- सेवाकर के बाबत जारी कार्यालय आदेश क्र. F2(8)/Comp./2013-14/ST-142/419 दिनांक 12.09.13 एवं परिपत्र क्रमांक F2(8)/Comp./2013-14/602 दिनांक 08.11.13

सन्दर्भित कार्यालय आदेश/परिपत्र के द्वारा मण्डल के सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver) एवं सेवाप्रदाता (Service Provider) के रूप में सेवाकर दायित्वों के निष्पादन के बाबत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। परिपत्र क्रमांक 602 दिनांक 08.11.13 के बिन्दु सं. 3 “सेवाकर वसूली हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही” के बिन्दु सं. 10 में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 01.07.12 एवं उसके पश्चात की समस्त जमा राशियों, जिन पर सेवाकर देय होता है कि गणना कर उसमें से CENVAT CREDIT का लाभ लेते हुए शेष राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवाई जावे। इस CENVAT CREDIT के बाबत विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही Queries के सन्दर्भ में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

### CENVAT CREDIT

आवंटियों से सेवाकर के रूप में प्राप्त की गई राशि अगले माह की 5 तारीख तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा कराई जानी होती है। सेवाकर की उक्त प्राप्त राशि में से निर्माण कार्यों के भुगतानों, हायरिंग ऑफ टैक्सी, सुरक्षा गार्डों, विधिक सेवा एवं टेलिफोन बिलों के भुगतानों पर चुकाये गये सेवाकर की राशि को समायोजित कर लेने के उपरान्त शेष राशि ही सम्बन्धित विभाग में जमा की जाती है। समायोजन की उपरोक्त प्रक्रिया को ही CENVAT CREDIT कहा जाता है।



**CENVAT CREDIT का लाभ प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें :-**

- (i) RCM के अन्तर्गत संवेदकों के भुगतानों में से कटौती की गई Service Tax-Input-RCM-RHB की राशि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवा दी गई हो।
- (ii) CENVAT CREDIT REGISTER (संलग्नक-1) का अनिवार्य रूप से संधारण किया जावे।

स्पष्ट है कि CENVAT CREDIT प्राप्त करने की आवश्यक शर्त यह है कि संवेदकों के भुगतान से सम्बन्धित सेवाकर की राशियाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा हो चुकी हों।

सेवाकर की रिटर्न वर्ष में दो बार छःमाही आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत की जानी होती है।

	छःमाही	प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
(i)	अप्रैल से सितम्बर	25 अक्टूबर
(ii)	अक्टूबर से मार्च	25 अप्रैल

**संवेदकों के भुगतानों में से 01.07.12 से 10.11.13 तक का बकाया सेवाकर वसूली के बाबत दिशा-निर्देश**

1. चूंकि संवेदकों से दिनांक 01.07.12 से 10.11.2013 तक की अवधि का देय सेवाकर की वसूली 5 किशतों तक में किये जाने के आदेश हैं। अतः सर्वप्रथम संवेदकों से वसूली योग्य सेवाकर राशि की गणना हेतु निम्न अवधि के अनुसार पृथक-पृथक विवरण पत्र तैयार किये जावें, जिसमें (Service Tax Input-RHB + Service Tax Input-RCM-RHB) की राशि की गणना (आदेश क्र. 602 दिनांक 08.11.13) के संलग्नक-4 में दिये गये Bifurcation of Bill के अनुसार की जावे :-


जुलाई, 12 से सितम्बर 12

अक्टूबर 12 से मार्च 13

अप्रैल 13 से सितम्बर 13

अक्टूबर 13 से आगे


2. इसी तरह दिनांक 01.07.12 से आगे लगातार आवंटियों की जमा राशियों पर सेवाकर की देयता की गणना बाबत भी उपरोक्त अवधिवार पृथक-पृथक विवरण पत्र तैयार किया जावे, किन्तु सर्विस टैक्स की आवंटियों से प्राप्त राशि को सम्बन्धित छःमाही अवधि की CENVAT CREDIT राशि की पूर्ण गणना कर समायोजन होने तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा नहीं करवाया जावे।



- (i) सन्दर्भित परिपत्र क्र. 602 दि. 08.11.13 के बिन्दु सं. 2 (4) के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि आवासीय भवनों/भूखण्डों की लीज राशि पर सेवाकर की देयता नहीं है।
  - (ii) किसी भी प्रकार के दण्डनीय ब्याज (Penal Intrest) की राशियों पर सेवाकर की देयता नहीं है। अतः सेवाकर की गणना करते समय दण्डनीय ब्याज की राशि को पृथक करते हुए गणना की जावे।
3. संवेदक से एक छःमाही अवधि की बकाया सेवाकर की राशि की वसूली एक बिल में से एक मुश्त की जावे।
  4. वर्तमान बिल (Current Bill) में से संवेदक से बकाया सेवाकर की वसूली संलग्नक- 2 के प्रारूप में दर्शाते हुए, एवं संवेदक से हस्ताक्षर करवाकर की जावे एवं संलग्नक- 3 के अनुसार जे.वी. पारित की जावे।
  5. बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जर्नल प्रविष्टि पारित करने पर खण्ड की लेखा पुस्तकों में डेबिट हुए सेवाकर की (Service Tax-Input-RHB & Service Tax-Input-RCM-RHB) दोनों राशियों की CENVAT CREDIT सम्बन्धित छःमाही में अनिवार्य रूप से ली जावे।
  6. संवेदक के बिलों में से बकाया सेवाकर के रूप में Service Tax Input-RCM-RHB की राशि ही काटी जावे।
  7. उपर्युक्त बिन्दु 6 के अनुसार बकाया सेवाकर के पेटे वसूली की गई राशि (Arrear of Service Tax Amount) को छःमाही (रिटर्न प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार) आधार पर प्रत्येक छःमाही के लिये पृथक-पृथक चालान से जमा कराया जावे एवं चालान की कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से छःमाही अवधि का अंकन कर दिया जावे।

#### उदाहरणार्थ

- यदि माह नवम्बर 2013 में विभिन्न भुगतानों में से Current बिलों के सेवाकर के अतिरिक्त अन्य छःमाहीयों यथा जुलाई 12 से सितम्बर 12, अक्टूबर 12 से मार्च 13 एवं अप्रैल 13 से सितम्बर 13 के भुगतानों की बकाया (Arrear) सेवाकर की राशियों की भी कटौतियों की गई है तो सम्बन्धित छःमाहियों के सेवाकर की राशि पृथक-पृथक चालान से जमा होगी।
8. एक छःमाही अवधि के लिये एक से अधिक संवेदकों की राशि एक साथ जमा कराई जा सकती है, किन्तु भिन्न-भिन्न छःमाही अवधियों की एक



संवेदक की राशि एक साथ जमा नहीं करवाई जावे, अन्यथा रिटर्न प्रस्तुत करते समय गणना संबंधी परेशानी होगी।

9. RCM नियम के तहत संवेदकों के बिलों से कटौती की गई सेवाकर की राशियाँ अनिवार्य रूप से अगले माह की 5 तारीख तक उपरोक्त निर्देशों के अनुसार जमा करवा दी जावें किन्तु मार्च माह की राशि अनिवार्यतः 31 मार्च तक जमा की जानी है।
10. सेवाकर नियमों के नवीन निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.01.14 से 1.00 लाख रुपये एवं अधिक की सेवाकर राशि Online जमा होगी।
11. जहाँ तक सम्भव हो कटौती योग्य सेवाकर की बकाया (Arrear) राशि को यथाशीघ्र संवेदक के बिलों से वसूल कर लिया जावे।
12. (i) संवेदक के कुल भुगतान के Cost of Cont/Dev. व Service Tax की मदों में Bifurcation हो जाने पर इसका इन्द्राज Abstract की माप पुस्तिका में अन्तिम बिल भुगतान के पश्चात आवश्यक रूप से कर दिया जावे।  
(ii) आवासों की लागत निर्धारण करवाते समय सर्विस टैक्स की राशि को छोड़ते हुए केवल Cost of Const. की राशि ही लागत आकड़ों में सम्मिलित की जावे।
13. पंजीकृत सहकारी समिति एवं पंजीकृत कम्पनी को दिनांक 01.07.12 से अब तक किये गये निर्माण कार्यों के भुगतानों के पेटे सेवाकर की राशि की कोई भी कटौती नहीं की जानी है, किन्तु सकल भुगतान में से आदेश क्रमांक 602 दिनांक 08.11.13 के संलग्नक 4 में वर्णित Bifurcation of Bill के अनुसार छः माही अवधि के लिये पृथक-पृथक विवरण पत्र तैयार कर वर्तमान बिल में संलग्नक-2 में सेवाकर की गणना करते हुए संलग्न-3 के अनुरूप जे.वी. पारित की जावे जिससे कम्पनी/सहकारी समिति को पूर्व में किये जा चुके भुगतानों में से सेवाकर की राशियों को पृथक कर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जा सके।  
संवेदक कम्पनी/सहकारी समिति के बिलों में से Service Tax-Input-RCM-RHB की राशि की कटौती नहीं करनी है, क्योंकि कम्पनी/सहकारी समिति की स्थिति में RCM लागू नहीं होता है अर्थात् सेवाकर जमा कराने की पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनी की ही है।
14. निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य मदों यथा Hiring of Taxi, Security Guard, Legal Services इत्यादि के लिए पूर्व में किए गये भुगतानों में सम्मिलित सेवाकर की राशियों के सम्बन्ध में भी (संलग्न प्रारूप-3) के अनुसार दिनांक 01.07.12 से 31.10.13 की अवधि के लिये (प्रत्येक छः माही के अनुसार) पृथक-पृथक विवरण पत्र तैयार कर पृथक-पृथक जनरल वाउचर पारित किए जावें। पूर्व में जारी किये गये निर्देशों के क्रम में यदि कोई राशियाँ सम्बन्धित फर्मों से वसूलनीय है तो उसकी वसूली कर छः माही वार पृथक-पृथक चालान से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जमा करवाई जावे, एवं समस्त राशियों की CENVAT CREDIT आवंटियों से प्राप्त राशियों से अनिवार्य रूप से ली जावे।




## अति महत्वपूर्ण

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए बकाया समस्त सेवाकर की वसूली आवश्यक रूप से 31 मार्च 2014 तक कर ली जावे, एवं वसूली की कार्यवाही के पश्चात छःमाहीवार आवंटियों से प्राप्त कुल सेवाकर एवं संवेदकों के भुगतानों में से डेबिट किया गया कुल सेवाकर (Service Tax Input-RHB+Service Tax Input-RCM-RHB) का एक तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार किया जावे, तथा आवंटियों से प्राप्त कुल सेवाकर में से संवेदकों को भुगतान किये गये सेवाकर की राशियों को घटाते हुए शेष राशि छःमाहीवार पृथक-पृथक चालान से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में 31 मार्च 2014 को ही जमा करवा दी जावे।

### परिपत्र क्रमांक 602 दिनांक 08.11.13 में संशोधन

1. बिन्दु सं. 1 की द्वितीय पंक्ति में अथवा के स्थान पर एवं पढ़ा जावे।  
बिन्दु सं. 1 नवीन रूप से निम्नानुसार होगा:-  
बिन्दु संख्या 1,2 व 3 के क्रम में अगर आवास का कारपेट क्षेत्र 2000 वर्ग फुट से कम है एवं उसका विक्रय मूल्य रु. एक करोड़ से कम है तो प्राप्त राशियों में से 25 प्रतिशत राशि को ही सेवाकर के दायरे में (Abated Value) माना गया है, एवं इस Abated Value पर 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क सम्बन्धित आवेदक/आवंटी से वसूलनीय है। सरलीकरण की दृष्टि से बिन्दु सं. 1 व 2 के क्रम में प्राप्त होने वाली समस्त राशि पर सेवाकर की दर @12.36 प्रतिशत का 25 प्रतिशत अर्थात् सकल राशि पर @ 3.09 प्रतिशत ही वसूलनीय है।
2. सेवा प्राप्तकर्ता (Service Receiver) के रूप में Hiring of Taxi, Security Guard, Legal Services, Telephone Bill के रूप में सेवाओं पर चुकाया गये सेवाकर की राशियों पर भी CENVAT CREDIT प्राप्त की जावे।

  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति.मुख्य अभियन्ता-I/II/III/P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशों की पालनार्थ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान/निरीक्षण/मुख्य अभियन्ता/पी.एफ.-पेंशन/लागत), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त निर्देशक (एस.ए.) रा.आ.मं., जयपुर को संबंधित समस्त अधिकारियों के ई-मेल एवं बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल।
10. वृत्त/खण्ड/वसूली में कार्यरत समस्त लेखाकार, राजस्थान आवासन मण्डल।
11. रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार



S. No.	Unit	Quantity executed or supplied since last certificate	Quantity executed (or supplied) up-to-date as per measurement book	Items of work supplies (grouped under sub-heads and sub works of estimate)	Rate	Amount	
						*Up-to-date	Since previous bill (Total for each sub-head)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Brought Forward.....			

Total Value of work done or supplies made to date

Deduct value of work of supplies shown on Previous bill

Net value of work of supplies since previous bill figures in works (a)

**Bifurcation of Bill (Current Bill)**

(i)	Cost of Const.	Bill Amount 107.944	X 100			
(ii)	Cost of Const. : WCT/VCT (@3% of Above)					
(iii)	Service Tax-Input-RHB (2.472% of Cost of Const.) (i)					
(iv)	Service Tax Input-RCM-RHB (2.472% Cost of Const.) (i)					
	<b>Total Amount of Bill</b>					

**Details of already paid bills duly bifurcated in respect of Service Tax inputs for working out Recovery of Service Tax arrear**

Bill No.	Date	Gross Amt. of Bill	VAT*	Service Tax Chargeable Amount	Service Tax* input-RHB	Service Tax* input-RCM-RHB		
1	2	3	4	5(3-4)				
1								
2								
3								
4								
5								
<b>Total</b>								

Signature of Contractor

**CERTIFICATE AND SIGNATURES**

- (1) The measurements were made by ..... on ..... and recorded at page ..... of Measurement Book No. .... and were checked (name) ..... on .....
- (2) The Connected measurements have been crossed of against this bill.

Left hand thumb impression on Dated Signature of Contractor	Dated Signature of Officer Preparing the bill.		Rank passed for Rs. Rupees  Resident Engineer
	P.E. (Sr.)	P.E. (Sr.)	
	Dated Signature of Resident Engineer		

This signature is necessary only when the officer who prepares the bill is not the officer who authorises the payment. In such case two signatures are essential

## Formats of Journal Vouchers

To incorporate the arrears of Service Tax in the Div accounts book.

J.V No.	Particulars						Debit	Credit
	DR. III Deposit, other deposit (b) misc. deposits (A/c code 135) Service Tax Input RHB Service Tax Input-RCM-RHB							
	CR. I Capital B <sup>n</sup> Expenditure (1) Works III Cost of Const. (name of work .....) (work sanctioned inclusive all taxes, hence the amount of Service Tax is also inclusive, following R/bills previously passed without bifurcation debiting Service Tax, as detailed below:-							
Bill No.	Date	Gross Amt. of Bill	VAT*	Service Tax Chargeble Amount	Service Tax* input-RHB	Service Tax* Input-RCM-RHB		
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7		
1								
2								
3								
4								
5								
<b>Total</b>								

Hence to segregate the service tax from the total bill to debit it in proper heads this J.V. has been passed.

\* Amount of VAT, Service Tax-Input-RHB and Service Tax input-RCM-RHB is to be worked out in the manner & percentage shown in enclosure 4&6 of circular no. 602 dt. 08.11.2013

Divisional Accountant

Resident Engineer

On account of Arrear of Service Tax Amount, Service Tax-Input-RCM-RHB as shown above is to be deducted from the current payment of contractor & to be deposited to central excise deptt. with other Service Tax Amount deducted from the bills of contractors during the month on or before 5<sup>th</sup> day of next month.